M. Thomas): I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications under sub-section (6) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955:

(i) The Rice (Madhya Pradesh) Price Control (Second Amendment) Order, 1963, published in Notification No. GSR 857 dated the 18th May, 1963;

(ii) The Rice (Punjab) Price Control (Third Amendment) Order, 1963, published in Notification No. GSR 853 dated the 18th May, 1963;

(iii) GSR No. 1234 dated the 18th July 1963;

(iv) GSR No. 1252 dated the 27th July 1963 containing Corrigendum to Notification No. GSR 374 dated the 17th March, 1962;

(v) The Roller Mills Wheat Products (Price Control) Amendment Order, 1963, published in Notification No. GSR 1281 dated the 3rd August 1963;

(vi) The Delhi Roller Flour Mills Wheat Products (Price Control) Second Amendment Order, 1963, published in Notification No. GSR 1282 dated the 3rd August 1963.

[Placed in Library, *See* No. LT-1413/63.]

श्री राम सेवक यादव : माननीय मंत्री जी क्या कह गए हैं, किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया है । वह बहुत जल्दी जल्दी बोल गए हैं । किस तरह से वह आशा करते हैं कि कोई चीज पास हो जाये बिना समझे हुए?

Shri U. M. Trivedi (Mandsaur): May I say that there is too much noise in the House and those who want to listen to something are not able to listen?

Mr. Deputy-Speaker: Unless all Members co-operate, we cannot carry on.

Shri U. M. Trivedi: It is not our fault that a trouble is going on. You should bring some order in the House before the work proceeds. We are very much handicapped by this. Either this way or that way, there must be some *via media* found so that we may be able to hear what is going on.

Mr. Deputy-Speaker: I am requesting every hon. Member to keep order in the House.

श्री बागड़ी : ग्रान ए प्वाइंट ग्राफ इनफार्मेशन, सर . . . .

Mr. Deputy-Speaker: Shri A. M. Thomas.

Shri A. M. Thomas: I have already laid the papers on the Table.

Shri S. M. Banerjee: I have not heard it.

Mr. Deputy-Speaker: Shrimati Chandrasekhar.

Shri Bagri: On a point of order.

REPORT OF THE COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shrimati Chandrasekhar): I beg to lay on the Table a copy of Report (Parts I and II) of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the year 1961-62, under article 338(2) of the Constitution. [*Placed in Library. See* No. LT-1414/63].

Mr. Deputy-Speaker: What is his point of order?

श्री बागड़ी : ग्रान ए प्वाइंट ग्राफ इनफार्मेशन, सर ।

उपाध्यक्ष महोदय : बोलिये, ग्राप क्या कहना चाहते हैं ।

श्री बागड़ी : मैं सिर्फ यह कहना चाहती कि हम जो बात यहां कह रहे हैं हिन्दुस्तानी में

[श्री बागड़ी]

उस को समझ कर आप उस का उत्तर दे रहे हैं, या वैसे ही बिना समझ दे रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझ सकता हूं ।

Shri P. R Patel: I am sorry I was out.

Mr. Deputy-Speaker: I am sorry. You are too late.

The hon. Prime Minister

डा० राम मनोहर लोहिया : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी बैठ जायें . . .

श्री शिव नारायण (बांसी) : आप बैठ जायें ।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं आप से निवेदन करता हूं कि जब तक अविश्वास के प्रस्ताव पर बहस न हो जाए तब तक प्रधान मंत्री जी को कोई बयान और न देने दिया जाए । मेरा तर्क यह है कि अविश्वास के प्रस्ताव पर बहस से लोक सभा और देश को लाभ होना चाहिये और वह तभी हो सकता है जब बहस सम्भी और बुनियादी बातों पर हो । अभी तो छे वक्ती चीजों में हम उलझ गए हैं और एक वक्ती चीज में हम उलझ जायेंगे तो अविश्वास के प्रस्ताव . . . .

Shri Bishwanath Ray (Deorai): What is the point of order?

Mr. Deputy-Speaker: Leave it to me.

Shri Shee Narain: You have called upon the Prime Minister. Then why is the hon. Member speaking in the House?

डा० राम मनोहर लोहिया : अविश्वास के प्रस्ताव की वजह से हो सकता है कि हम लोगों को भी फायदा हो । अगर हम कोई

उपाध्यक्ष महोदय : आप सिर्फ वाइंट आफ आर्डर कह सकते हैं ।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं प्वाइंट आफ आर्डर पर ही बोल रहा हूं । यह विषय इस वक्त नहीं आना चाहिये, क्योंकि जितने भी प्रधान मंत्री जी के बयान हैं उन सब पर सवाल जवाब यहां नहीं होने दिया जाता है । कह दिया जाता है कि अविश्वास के प्रस्ताव पर बहस में उन को ले आना । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अविश्वास के प्रस्ताव पर बहस तभी फायदेमन्द होगी सरकार के लिये और विरोधी पक्ष के लिये भी जब हम बुनियादी बातों पर बहस करेंगे और वक्ती बातों में उलझ जायेंगे तो वह बहस अच्छी नहीं होगी ।

एक तो मेरा यह तर्क है . . . .

Mr. Deputy-Speaker: He cannot make a speech here.

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं तर्क पेश कर रहा हूं । दूसरा तर्क यह है कि प्रधान मंत्री के बयान में इतने पेंच रहते हैं कि उन को बोलना मुश्किल हो जाता है और भागती हुई सच्चाई को पकड़ना करीब करीब नामुमकिन होता है । मैं आप को बताऊंगा कि प्रधान मंत्री कभी कहते हैं कि हम ने यह नहीं पढ़ा और फिर कह देते हैं कि हम ने पढ़ा तो, लेकिन वह बेपढ़ा सा समझिये . . .

उपाध्यक्ष महोदय : आप भाषण दे रहे हैं ।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं तर्क दे रहा हूं व्यवस्था के लिये ।

Shrimati Yashoda Reddy (Kurnool): He should not be allowed to make a speech now.

Shri Bishwanath Ray: It is a speech, not a point of order.

Shrimati Yashoda Reddy: It is not a point of order.

Mr. Deputy-Speaker: He can only state his point of order. He cannot make a speech. He has already taken five minutes.

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं प्रधान मंत्री से कुछ निवेदन करूंगा । उन्हें चाहिये कि वह अब अपना कोई बयान न दें । अगर वह चाहते हैं कि हम अच्छी तरह से किसी बात की सचाई को खोल लें . . .

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाय ।

डा० राम मनोहर लोहिया : मेरे तर्क को आप सुन लीजिय । एक मिनट में मैं अपनी बात कह देता हूं ।

Mr. Deputy-Speaker: You do not want him to make a statement; he should lay the Statement on the Table.

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं आर्गुमेंट दे रहा हूं ।

Shri Paliwal (Hindaun): You have already ruled that it is not a point of order.

Mr. Deputy-Speaker: He cannot go on making a speech like this.

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं एक मिनट में आप को तर्क बता देता हूं । प्रधान मंत्री अपने बयान में जिम्मेदारी ओढ़ कर के और फिर उस जिम्मेदारी से छटक जाया करते हैं । सवाल जवाब के बिना प्रधान मंत्री का बयान . . . .

Mr. Deputy-Speaker: There is no point of order. It is to help the House during the discussion of the no-confidence Motion that this statement is being made. He had given the assurance that he is going to make a statement. It is the desire of the House that he should make the statement.

There is no point of order.

The hon. Prime Minister.

डा० राम मनोहर लोहिया : आप के इस तरह से चिल्लाने का मुझ पर कोई असर नहीं होगा । मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं ।

Shri Bagri: On a point of order.

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें ।

डा० राम मनोहर लोहिया : मेरा तर्क सुन लीजिय . . . .

Mr. Deputy-Speaker: I am sorry. Please resume your seat. Your leader has raised the question and I have given my ruling.

श्री बागड़ी : कालिंग एटेंशन नहीं हो सकता है, एडजर्नमेंट मोशन नहीं हो सकता है वोट आफ नो-कोन्फिडेंस से पहले, तो इन के बयान की क्या जरूरत है ।

CHINESE TROOP CONCENTRATIONS ALONG THE INDIA-CHINA BORDER

The Prime Minister, Minister of External Affairs and Minister of Atomic Energy (Shri Jawaharlal Nehru): Since I placed White Paper No. VIII, containing notes, memoranda and letters exchanged between the Governments of India and the People's Republic of China, on 23rd January, 1963, further exchange of a large number of communications has taken place. I am placing on the Table of the House White Paper No. IX containing notes, memoranda and letters exchanged between the Governments of India and China between January and July, 1963. [*Placed in Library. See* No. LT-1415/63.]

When I last spoke on the subject of the India-China conflict on 7th May, I placed copies of the Government of India's note of 3rd April, in which we had suggested a series of constructive steps to be taken for the settlement of the Sino-Indian border differences, and of my letter to Prime Minister Chou En-lai dated 1st May,